रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2009/वैशाख 1, 1931

No. 237] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2009/VAISAKHA 1, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 274(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए पहुंच संहिता) संशोधन विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 12 में संशोधन.**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2008 के विनियम 12 के उप-नियम (2) के परंतुक के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"बशर्ते कि उप-विनियम (2) के अंतर्गत यदि 33% अतिरिक्त क्षमता में से कोई क्षमता किसी शिपर से मांग प्राप्त न होने के कारण किसी समय उपलब्ध होती है तो इसे एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए इस शर्त के साथ अनुबंधित किया जाए कि यदि अन्य कोई कंपनी एक वर्ष से कम अवधि के लिए इसकी बुकिंग करना चाहती है, तो एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पहले से अनुबंधित अन्य कंपनियों की सामान्य वाहक क्षमता का यथानुपात निकालने के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा :

इसमें आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि सामान्य वाहक क्षमता का यथानुपात कुल सामान्य वाहक क्षमता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।"

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खण्ड.1]

रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पण:—प्रमुख विनियमों को सा.का.नि. 541(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2009

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in regulation 12.— In regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, for the proviso to sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that in case any capacity out of the 33% excess capacity under sub-regulation (2) is available at any time due to non-existence of demand from any shipper, then, the same may be contracted for a period of one year or more subject to the stipulation that in case another entity seeks booking of the same for a period of less than one year, the request shall be accommodated after pro-rating the same from the common carrier capacity already contracted to other entities for a period of one year or more:

Provided further that pro-rating the common carrier capacity shall not exceed ten per cent of the total common carrier capacity."

[F. No. S-Admn/II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Foot Note :— Principal regulations were notified vide G.S.R. 541(E), dated 17th July, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.